राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2891/2025

श्रीमती किरण वैरागी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. डी.ई.ओ., जिला शिक्षा अधिकारी ऑफिस, सलूम्बर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.05.2025
आदेश की दिनांक : 01.08.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री जगन्नाथ खांडपा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक लेवल द्वितीय हिन्दी के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, भागल, डगार, पं.स. सलूम्बर ब्लॉक व जिला सलूम्बर में कार्यरत है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 02.07.2020 को राजस्थान स्कूल परिषद ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अध्यापिकाओं/वार्डन के रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति के लिये राजस्थान शिक्षा विभाग में कार्यरत केवल महिला शिक्षकों के लिये ऑनलाईन साक्षात्कार हेतु आवेदन मांगे गये, जिसमें अपीलार्थी ने आवेदन दिया और इच्छित जिला चित्तौडगढ, बडीसादडी, डूंगला भरा। आदेश दिनांक 15.09.2023 कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 38 पर दर्शाया गया

तथा उसे माण्डेसर, चित्तौडगढ में पदस्थापित किया गया। उनका तर्क है कि प्रतिनियुक्ति हेतु जो स्वैच्छिक स्थान पदस्थापन हेतु दिये थे उन विद्यालयों में न लगाकर अन्यत्र लगाया जाना अनुचित व अवैध है। अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 2898/2023 प्रस्तुत की और दिनांक 13.10.2023 को अधिकरण ने यह आदेश दिया कि अपीलार्थी दो सप्ताह में विभाग को अभ्यावेदन दें और विभाग नियमानुसार उसका दो सप्ताह में निस्तारण करें, तब तक आदेश दिनांक 15.09.2023 एवं 09.10.2023 की क्रियान्विति स्थगित रहेगी। परंतु अधिकरण के आदेश के 20 माह पश्चात् भी कोई पालना नहीं की गई। उनका यह भी तर्क है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति हेतु साक्षात्कार ऑनलाईन आवेदन दिनांक 21.02.2025 से 07.03.2025 तक मांगे गये, परंतु अपीलार्थी के संबंध में कोई विचार नहीं किया गया, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधिकरण के आदेश दिनांक 13.10.2023 के अनुसार पदस्थापन दिया जावे और नई विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसके आधार पर कल्याणपुरा के पद पर अपीलार्थी का पदस्थापन किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी ने प्रतिनियुक्ति हेतु कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में जिला चित्तौडगढ के कराडली भांगल, डगार, ब्लॉक सलूम्बर में पदस्थापन हेतु इच्छित स्थान के विकल्प दिये और तद्नुसार अपीलार्थी को आदेश दिनांक 12.09.2023 के द्वारा जिला चित्तौडगढ में माण्डेसर में पदस्थापित किया गया और इस प्रकार अपीलार्थी को इच्छित जिला चित्तौडगढ में पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी द्वारा अनावश्यक लाभ प्राप्ति एवं न्यायालय को गुमराह किया गया है। अपीलार्थी ने विज्ञप्ति दिनांक 13.02.2025 तथा 19.05.2025 को जारी ऑनलाईन साक्षात्कार सूचना में अपीलार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन ही प्रस्तुत नहीं किया गया और इस प्रकार वह उक्त विज्ञप्ति अनुसार सम्मिलित ही नहीं है तो उसे विज्ञप्ति को चुनौती देने का अधिकार नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन अध्यापक लेवल द्वितीय हिन्दी के पद पर

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, भागल, डगार, पं.स. सलूम्बर ब्लॉक व जिला सलूम्बर में कार्यरत है। जहां तक अपीलार्थी को अधिकरण के आदेश दिनांक 13.10.2023 के अनुसार पदस्थापन नहीं किये जाने तथा नई विज्ञप्ति अनुसार कल्याणपुरा के पद पर पदस्थापन किये जाने के आदेश दिये जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी द्वारा तत्समय जारी विज्ञप्ति अनुसार उसके द्वारा भरे गये इच्छित जिले के अनुसार उसे चित्तौडगढ जिले में प्रतिनियुक्ति पर आदेश दिनांक 12.09.2023 के द्वारा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय माण्डेसर, जिला चित्तौडगढ में पदस्थापित किया गया और इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा इच्छित जिले में उसे पदस्थापित किया गया है। जहां तक अपीलार्थी को नई विज्ञप्ति अनुसार कल्याणपुरा में प्रतिनियुक्ति पर लगाये जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी द्वारा विज्ञप्ति दिनांक 13.02.2025 के क्रम में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद को प्रतिनियुक्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन ही प्रस्तुत नहीं किया गया और इस प्रकार अपीलार्थी को कल्याणपुरा में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित होने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि विज्ञप्ति दिनांक 13.02.2025 में कक्षा 6 से 8 में शिक्षिकाओं के L1 का एक रिक्त पद दर्शाया गया है, जबकि अपीलार्थी L2 की कार्मिक है और इस प्रकार उसे L1 के पद पर पदस्थापित नहीं किया जा सकता। अतः अपीलार्थी के उक्त तर्क में कोई बल प्रकट नहीं होता है। इसलिये अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष